

जे डी ए जोन 5 के अधिकारियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर किया बड़ा घोटाला ?

टूटी सीवर लाइन पर डालते रहे डामर की परत पर परत

अत्रि कुमार दाधीच

चमकता राजस्थान, जयपुर। आपने मखमल के कपड़े पर टाट का पैबंद की कहावत तो बहुत सुनी होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है, वह टूटी सीवर लाइन पर मखमल (डामर) का पैबंद लगा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन नंबर 5 में स्थित श्याम नगर में अभी कुछ दिनों पूर्व ही अयोध्या पथ पर सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा होने की जानकारी सामने आई थी हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में गहरी छानबीन की तो पता लगा कि कुछ समय पूर्व भी यहां पर 20 फुट का गहरा खड्डा हुआ था जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम ने लीपापोती कर मलवा डालकर उस पर डामर की परत चढ़ा दी शुरू है कि हादसे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं हुई ! इसी अयोध्या पथ पर पहले भी टूटी सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा हो चुका है। नगर निगम तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की भ्रष्टाचार की बानगी तो देखिए कुछ समय पूर्व इसी जगह पर टूटी सीवर लाइन के कारण गहरा खड्डा हुआ था तब भी अधिकारियों की नौद नहीं खुली और मलवा डालकर उस सड़क पर डामर की परत चढ़ा दी गई, यही हाल अब राम पथ पर होने जा रहा है आनन-फानन में अयोध्या पथ पर तो नई सीवर लाइन डाली जा रही है लेकिन राम पथ पर जो डामर की परत चढ़ा कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है उसका जिम्मेदार कौन ?

राम पथ पर भी सीवर लाइन टूटी, हुआ गहरा खड्डा

भाजपा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी



राम पथ पर टूटी सीवर लाइन के कारण हुआ खड्डा, पास में लीपापोती के लिए डाला गया मलवा



अयोध्या पथ पर टूटी सीवर लाइन के कारण हुआ खड्डा

के मकान के सामने राम पथ पर वही हादसा होते-होते बचा जब सीवर लाइन के कारण वहां पर खड्डा हो गया। गौरतलब है कि अभी वहां पर सड़क पर डामर की परत चढ़ाने का कार्य तेजी से चल रहा है वहां पर कॉलोनी वासियों से पता चला कि डामर की परत के कारण कई मकान में रोड से नीचे आ गए हैं तथा फुटपाथ खत्म हो गया है। इसी के साथ विकास नहीं होने के कारण तथा रोड का ढलान संपर्क सड़कों पर होने के कारण बारिश का पानी संपर्क सड़कों पर भरा रहता है, जिससे मच्छरों तथा गंदगी से कॉलोनी वासियों का बुरा हाल रहता है !

टूटी सीवर लाइनों पर डाल रहे नई डामर की परत, आस पास की कालोनियां सड़क को तरसी

श्याम नगर के पास स्थित अन्य कॉलोनीयों जैसे कटेवा नगर, देवी नगर में कई जगह सीवर



राम पथ पर डाली गई नई डामर की परत

लाहोटी डाली गई थीं उन पर अभी तक रोड नहीं बनाई जा सकी है जबकि श्यामनगर में पुरानी टूटी सीवर लाइनों पर ही डामर की परत चढ़ाई जा रही है !

जिम्मेदारों ने नहीं उठाया फोन

घटना के बाद हेरिटेज नगर निगम के एक्सईएन दिनेश गुप्ता ने फोन नहीं उठाया, यही स्थिति जेडीए एक्स ई एन विनोद कृष्णिया की भी रही !

किसी दबाव में डाली जा रही है या कमाई का जरिया बन चुकी है

हमारे संवाददाता ने जब इस बारे में गहरी छानबीन की तो पता लगा कि आसपास की कॉलोनीयों वाले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास जाकर रोड निर्माण तथा सीवर लाइनों के लिए ठोकरे खा रहे हैं वही श्याम नगर में बिना किसी कारण के डामर की परत चढ़ाई जा रही है !

अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे पहुंचाया लाभ

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है अधिकारियों ने सीवर लाइन को दुरुस्त कराए बिना मलवा डालकर इतिश्री कर ली और लाखों का बिल अपने चहेते ठेकेदारों को उठवा दिया ! अब मामले नगर निगम तथा जेडीए एक दूसरे पर डाल उनके अधिकारी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं !

भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण + नरक निगम - भ्रष्टाचारी अधिकारियों का स्वर्ग

जयपुर विकास प्राधिकरण की भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण और नगर निगम को नरक निगम बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि दोनों के अधिकारियों के लिए विभाग भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग बनता जा रहा है, जो अधिकारी एक बार इन विभागों में पदस्थ हो जाता है वह दोबारा दूसरे विभाग में जाने की कल्पना से भी कांप उठता है क्योंकि दोनों विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं, अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ जगजाहिर है, जयपुर शहर में दोनों विभागों का कार्य अलग-अलग बटा हुआ है लेकिन फिर भी दोनों विभागों के अधिकारियों का चोली दामन का साथ हर जगह नजर आता है क्योंकि क्षेत्र के कई कार्य जहां जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन आते हैं वहीं उसी क्षेत्र में नगर निगम के अधीन भी कई कार्य आते हैं, ऐसे में विभागों के अधिकारी एक दूसरे पर मामले को डाल पल्ला झाड़ लेते हैं और ठेकेदारों से सांठगांठ कर सरकारी रूपों का दुरुपयोग करते हैं !

नीतीश कैबिनेट से जीतनराम मांझी के बेटे का इस्तीफा

बिहार सीएम की विपक्षी एकता बैठक से 10 दिन पहले पद छोड़ा

पटना (एजेंसी)। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी एकता के लिए 18 दलों की बैठक बुलाई है। बैठक से 10 दिन पहले मंगलवार को बिहार की महागठबंधन सरकार से हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा (HAM) के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। HAM के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे डॉ. संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को इस्तीफा भेज दिया है। सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री हैं। बिहार में पार्टी के 4 विधायक हैं। इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने कहा- नीतीश कुमार हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। वे हमारी पार्टी प्रह्लाद विलय अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में करवाना चाहते हैं। पार्टी बचाने के लिए हमने इस्तीफा का विकल्प चुना है। अभी हम सरकार से अलग हुए हैं, महागठबंधन से नहीं। महागठबंधन में रखना है या नहीं यह लालू और नीतीश तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, मांझी के NDA में जाने की चर्चा है।

उत्तर भारत में भूकंप, दिल्ली-एनसीआर समेत 5 राज्यों में महसूस किए गए झटके

पटना (एजेंसी)। देश के उत्तरी हिस्से में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रेक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को ही तिब्बत के शिजांग में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, सुबह 3:23 बजे यह भूकंप आया। इसका केंद्र जमीन से 106 किलोमीटर नीचे था। पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर लोनाबला के पास एक ऑइल टैंकर पलट गया, जिससे भीषण आग लग गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हैं। अचानक टैंकर ने नियंत्रण खो दिया और पलट गया, जिसके बाद सड़क पर ऑइल गिरने से भीषण आग लग गई।

काँग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का सचिवालय महाधेराव, कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब:-सीपी जोशी

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता और पुलिस आमने-सामने हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया। चंद्र प्रकाश (सीपी) जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जयपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी मुख्यालय पर जमावड़े के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता-नेता सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्टैच्यू सर्फिस पर रोक लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर कर आगे बढ़ने की कोशिश की पर पुलिस की संख्याबल के आगे उनकी नहीं चली। वे वहीं कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बड़े नेताओं की मौजूदगी में वहीं धरना-प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा नेता-कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा कि यह सरकार जाएगी नहीं, डिलीट हो जाएगी। उन्होंने



कहा कि कहा, एक समय था, जब कहा जाता था चेचक का रोगी बताओ 10 हजार पाओ। अब वो समय आया जब कहा जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बताओ, 1 लाख रुपए पाओ। वहीं, बीजेपी मुख्यालय पर विधायक अशोक

लाहोटी ने कहा- पहले सरकार ने महिलाओं को मोबाइल देने की घोषणा की थी। अब कह रही है, हम खाते में पैसे देंगे। महिलाएं खुद मोबाइल खरीद लें। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि पहले पैसे अकाउंट में आ जाए, तभी मोबाइल खरीदना। इस सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। कहीं आप मोबाइल भी खरीद लो और पैसे भी नहीं आए। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद

किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। भाजपा का दावा है कि आज के प्रदर्शन में जयपुर सहित दूसरे जिलों से भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं।

ज्ञानदेव आहूजा के बिगड़े बोल: बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा- राहुल गांधी और अशोक गहलोत जूते खाने का काम करते हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान ने 1947 में लाखों लोगों को मरवाया।

1984 में हजारों सिखों को मरवाया। वहीं, 1990 में करीब 2 हजार कश्मीरियों को मरवाने का काम किया है। प्रभारी अरुण सिंह ने कहा- इस बार तो गहलोत सरकार जाएगी ही। वहीं अगले 10 से 15 साल तक सरकार फिर

रेरा जज पर बिल्टर ने लगाए पक्षपात करने के आरोप ऑर्डर के पालना के बजाए जजमेंट देने वाले के खिलाफ की शिकायत

चमकता राजस्थान, जयपुर। राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा राजस्थान) के जजमेंट देने वाले सदस्य पर बिल्टर ने पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उसी के खिलाफ शिकायत दे दी। बिल्टर के इस कदम के बाद कोर्ट ने बिल्टर पर आरोपों की पालना नहीं करते हुए इसे अवहेलना माना और उनके सीए को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने के आदेश दिए हैं। ऑथोरिटी के सदस्य सलविंदर सिंह सोहाता ने आरोपों की अवहेलना बिल्टर की ओर से परिवादी पर दिए निर्णय की पालना नहीं करने के मामले में माना है। वर्मा ने बिल्टर पर प्रोजेक्ट में समय पर प्लैट कर कब्जा नहीं देने की शिकायत करते

दो मामले में बिल्टर के पक्ष में सुनाया फैसला

पहले इसी प्रोजेक्ट में समय पर कब्जा नहीं देने के मामले में दो अन्य याचिकाएं भी रera ऑथोरिटी में लगी थी। ये याचिका जसमीत जैन, कुलविंदर सिंह की ओर से लगाई थी। उस याचिका दोनों ने बिल्टर पर समय पर कब्जा नहीं देने पर जमा पैसा रिफंड करवाने की मांग की थी। तब बिल्टर ने अपना पक्ष रखते हुए प्रोजेक्ट पूरा होने की बात कही और कब्जा देने के लिए कहा।

उदयपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी, भाजपा की चाल को जनता समझ चुकी गहलोत बोले- हम स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे



चमकता राजस्थान, उदयपुर।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा- राजस्थान में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि अब धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करने वालों की चाल को जनता समझ चुकी है। गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी। गहलोत मंगलवार को उदयपुर की लेकंड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक में बजरंग बली की जय बोलकर बटन दबाओ का नारा भी नहीं चला। अब लोग समझ गए हैं। गहलोत ने कहा- इस बार राजस्थान में हम लोग चुनाव स्थानीय मुद्दों पर

लड़ेंगे, हमने क्या किया है। उसका मुकाबला विपक्ष करें। उन्होंने फिर कहा कि हमने वसुंधरा सरकार की कोई योजना बंद नहीं की, ये काम वे ही करते हैं, हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं को वे बंद कर देते हैं।

विपक्ष के पास बहुत पैसा, हम कम संसाधन से लड़ेंगे

गहलोत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- ये लोगों को भड़काएंगे। इनके पास इतना पैसा हो गया कि कोई सोच नहीं सकता। हमारे पास कम संसाधन हैं और हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जनता होगी क्योंकि हमारी कथनी व करनी में अंतर नहीं है।

हम भाजपा को निपटा कर सरकार भी बनाएंगे

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाएगी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि हम भाजपा को निपटा कर प्रदेश में फिर हमारी कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। वे बोले जहां जा रहा हूं वहां अच्छा माहौल दिख रहा है।

उदयपुर के धानमंडी में पब्लिक मीटिंग की इच्छा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उदयपुर शहर के धानमंडी में उनकी पब्लिक मीटिंग करने की इच्छा है। वे बोले वहां किसी और पार्टी की सभा हुई होगी पर कांग्रेस की सालों से नहीं हुई है। यहाँ सभा होनी चाहिए।

संपादकीय

सूरज की लपटें

मौसम में इस बार वैसे ही कम अनिश्चितता नहीं है। मानसून ने देरी से केरल में दस्तक दी है और वह कुछ कमजोर भी दिख रहा है, इसलिए आशंकाएं ढेर सारी हैं। एक दूसरा सच यह भी है कि उत्तर और मध्य भारत में जब सूरज का ताप अपने चरम पर होना चाहिए, तब पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद दूसरा प्रारंभ हो रहा है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें तो यह सब होना ही था। मगर इसी बीच वैज्ञानिक एक अन्य खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सूरज अपना रौद्र रूप दिखा सकता है और यह कई तरह से हमारे लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। बल्कि, उसने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले साल की शुरुआत तक सूरज कई बार भूकंप सकता है और हमारी कई व्यवस्थाओं के लिए यह खतरा बन जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी 5 जून को ऐसी ही एक भूकंप सूरज से निकली थी, जो सीधे हमारी पृथ्वी की दिशा में बढ़ी। हालांकि, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली यह लपट बहुत ताकतवर नहीं थी और धरती के पास पहुंचते-पहुंचते कुछ मंद भी पड़ गई। मगर हर बार शायद किस्मत इतनी अच्छी न हो। इसांनों के लिए सीधे सूरज को देखना संभव भी नहीं है और आंखों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सूरज की छवि देखें, तो उसकी सतह पर फफोले जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 11 साल बाद ये फफोले फूटते हैं और उनसे भारी मात्रा में ऊर्जा बेहद तेज गति से निकलती है। उसमें सिर्फ ताप नहीं होता, बल्कि चुंबकीय तरंगें भी होती हैं। इसे हम 'सोलर स्टॉर्म' यानी सूरज की आंधी या फिर 'सोलर फ्लेयर' या सूरज की लपट कहते हैं। यह हमेशा से ही होता रहा है और ज्यादातर मामलों में ये लपटें धरती के वातावरण पर एक हद से ज्यादा असर नहीं डाल सकतीं। लेकिन समस्या एक दूसरी निगम है। हम संचार तकनीक के जिस युग में हैं, वहां अनेक मानव जगत उपग्रह सुदूर आसमान में हर वक्त धरती के आसपास चक्कर काटते रहते हैं। ये उपग्रह हमारे संचार नेटवर्क, हमारे टेलीफोन, हमारे टेलीविजन और इंटरनेट की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये चुंबकीय तरंगें और उनके साथ आने वाला ताप इन उपग्रहों और उसके साथ हमारी कई व्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ देशों में तो इसकी वजह से विद्युत आपूर्ति तक टप हो सकती है। बहुत से बड़े उपग्रहों में यह व्यवस्था है कि उनके सोलर पैनल और एंटीना बौद्धिक को जरूरत पड़ने पर अंदर की तरफ समेटा जा सकता है और कुछ हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन सभी उपग्रहों में यह व्यवस्था नहीं है। हम सूरज को आदि मानते हैं। इस धरती पर जबसे इंसान है या यह जीव-जगत है, उससे पहले से सूरज अपनी जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि हाल-फिलहाल में उसकी फितरत में कोई बड़ा बदलाव आ गया हो। सूरज की लपटों के कारण जो समस्या हमारे सामने है, वह दरअसल सूरज से नहीं उपजी। वह इसलिए है कि आगे बढ़ने के प्रयासों में हमने उसकी इस फितरत को नजरअंदाज कर दिया और सुरक्षा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह संकट ही नहीं, आगे के लिए एक सबक भी है।

कठघरे में ट्रंप

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे जीवन में ढेर सारे विवाद खड़े किए हैं। विवादों से उनका पुराना नाता है। लेकिन इस बात तो उन्होंने इतिहास ही बना दिया है। वह अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनके खिलाफ किसी अपराधिक मामले में बाकायदा आरोप तय किए गए हैं। इसके पहले वाटरगेट कांड पर रिचर्ड निक्सन के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता था, लेकिन उनके बाद राष्ट्रपति बने गेराल्ड फोर्ड ने इससे इनकार कर दिया। उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं लगी होगी, क्योंकि एक तो वह निक्सन की रिपब्लिकन पार्टी के ही थे। फिर यह खतरा भी नहीं था कि अगली बार राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें निक्सन से कोई चुनौती मिले। लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ ऐसा नहीं है और अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से फिलहाल वही सबसे बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं। फिलहाल ट्रंप के खिलाफ मामला सिर्फ इतना है कि फ्लोरिडा में उनके मारा-लॉगों एस्टेट पर पिछले अगस्त में छाप्रा मारकर सरकारी एजेंसी ने 11 हजार दस्तावेज जब्त किए थे, जिनमें कई बेहद गोपनीय दस्तावेज थे। बताते हैं, 33 बक्सों में बंद इन दस्तावेजों में कुछ ऐसे भी हैं जो ईरान पर अमेरिकी हमले की योजना से संबंधित थे। ये दस्तावेज ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में हासिल किए थे, जिन्हें उन्होंने लौटाया नहीं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय पहले अमेरिका की फेडरल जांच एजेंसी ने मौजूदा राष्ट्रपति बाइडन के पुराने निवास से भी कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए थे, जो उन्होंने तब हासिल किए थे, जब वह उप-राष्ट्रपति थे। एजेंसी के हिस्साब से फर्क यह है कि ट्रंप ने उन दस्तावेजों को जानते-बूझते हुए भी न सिर्फ अपने पास रखा था, बल्कि लौटाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि इसका कारण अपराधिक न होकर ट्रंप की बड़े बड़ विडायी भी हो सकती है, जिसके लिए वह मशहूर रहे हैं, यरना ईरान वाले दस्तावेज को ही लें, तो इसे अपने पास रखने से भला ट्रंप को क्या मिल सकता था? इस पर भी शक है कि वह इसे किसी तरह इस्तेमाल कर सकते थे।

सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए आवश्यक है धारा 124ए

भारत में राजद्रोह कानून 124ए को भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 6 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें राजद्रोह के बारे में कहा गया है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास से, जिसमें कुछ मात्रा जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाने का प्रावधान है। स्पष्टीकरण प् अप्रति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना, सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित करवाने की दृष्टि से टिप्पणी करना, इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष को उतेजित या उतेजित करने का प्रयास नहीं करते हैं। आजादी के बाद संविधान सभा की चर्चा के बाद 1948 में राजद्रोह को हटा दिया गया था। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता और पिशाचिद के एम मुंषी के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13, 2६ में शामिल राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संघोषण प्रस्तुत किया, इस प्रकार राजद्रोह शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय अनुच्छेद 19,1६,ए६ ने भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हालांकि उस दौरान भी भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में धारा मौजूद थी। भारत के विधि आयोग की 279 वी रिपोर्ट के बाद फिर से राजद्रोह कानून के उपयोग चर्चा का विषय बन दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के उपयोग से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए में बदलाव के साथ इसे बनाए रखने की सिफारिश की है। धारा 124 ए की कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है स्पष्टीकरण प् अप्रति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् उ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि धारा 124 ए से संबंधित कोई भी



अभिषेक सिंह शोधार्थी विधि

प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानकी चाहिए जब तक कि एक पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे नहीं है प्रारंभिक जांच नहीं करता है और पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर इस दिशा में रिपोर्ट में कहा गया है कि एक परंतुक को शामिल करके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में एक संघोषण पेष किया जा सकता है।

स्वतंत्र भारत में राजद्रोह के मामले

तारा सिंह गोपी चंद बनाम स्टेट 1951 का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने वाले स्वतंत्र भारत में एक न्यायालय का पहला न्यायिक दृष्टांत था। चूंकि भारत अब एक स्वतंत्र गणराज्य था और स्वतंत्र भारत ने ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा पारित दृष्टांतों पर संविधान सभा में पारित संविधान की सर्वोच्चता को प्रहण कर लिया था। इस मामले में तत्कालीन पंजाब उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 124 ए निर्विवाद रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, और इस आधार पर प्रावधान को अमान्य कर दिया कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। इस मामले के तुरंत बाद में 1951 में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने अनुच्छेद 19,1६,ए६ के तहत भाषण और अभिव्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संविधान का पहला संघोषण पेष किया और अनुच्छेद 19,2६ को अधिनियमित किया ताकि राज्य को स्वतंत्र भाषण के अधिकार पर उचित प्रतिबंध के रूप में राज्य की सुरक्षा को कम करने या राज्य को उखाड़ फेंकने के अतिविक्रमपूर्ण कार्यों तक ही सीमित नहीं था, अब इसे राज्य के हित में भी होना था। सार्वजनिक व्यवस्था को चुनौती देने और विदेशी राज्यों के साथ संबंधों और इस संबंध में भाषण या अन्य किसी माध्यम से अपराधों के लिए उकसाने पर नियंत्रण का नया आधार था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत का संविधान अनुच्छेद 19,2६ देषद्रोह के बारे में तो कुछ नहीं कहता लेकिन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता या राज्य की सुरक्षा को खतरा होने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और राजद्रोह के कानून का उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा को खतरा व राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने के कार्यों तक ही सीमित नहीं था। अब इसे केवल राज्य की सुरक्षा के हित में होना था। इस तरह राजद्रोह के संबंध में व्यापक अर्थ वाले शब्दों ने राजद्रोह की धारा के उपयोग को अधिक विवेकशील व बुद्धिमता उपयोग पर बल दिया गया। देवी सोरेन और अन्य बनाम राज्य 1954 में अब बोलने की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रस्तुत प्रथम संघोषण के बाद एक आधिवसी नेता औ सरकार के खिलाफ भड़काफ भाषण के लिए हिरासत में लिया गया। पठना उच्च न्यायालय ने निर्णय में अस्वीकृत और असंतोष के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और कहा कि केवल असंतोष सार्वजनिक अव्यवस्था की ओर ले जाता है। अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं मानते हुए भारतीय दंड संहित की धारा 124 ए की संवैधानिकता की भी पुष्टि की थी। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य सरकार 1962 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजद्रोह की व्याख्या पर विशेष महत्व रखता है। इसे राजद्रोह के संदर्भ में सबसे अधिकारिक निर्णय माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इस कानून का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसे केवल तभी लागू किया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि विचाराधीन देषद्रोही भाषण से हिंसा को उकसाना या इसके कारण सार्वजनिक असंतोष फैले। चूंकि केदार नाथ ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की थी ना कि भारतीय राज्य की, और विवादित भाषण किसी भी तरह की हिंसा के लिए उकसाने वाला नहीं था इसलिए इसे देषद्रोह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वहीं हिंसा भड़काने की हानिकारक प्रवृत्ति की उपस्थिति राजद्रोह की धारा को लागू करने के लिए एक पूर्व शर्त है। निहारेंदु दत्त मजूमदार बनाम महल्लपूर्ण सवाल यह है कि डेटा का आर्थिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है और इसका उचित हिस्सा किसानों तक कैसे पहुंचता है? भारत में ऐसी कोई प्रभावी स्वैच्छक या अनिवार्य संरचना नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि छोटे किसानों के लिए डेटा अर्थव्यवस्था न्यायसंगत और समावेशी हो। इसलिए डेटा के उचित रख-रखाव और एक समावेशी डेटा परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु न्यायोचित फार्म डेटा के लिए एक स्वैच्छक प्रमाणन मानक की आवश्यकता है।

सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का इरादा या उसकी उचित मंषा, उसके शब्दों या कार्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा राजद्रोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मामले के संबंध में यह माना गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया भाषण सरकार की आलोचना को कानूनी सीमा से अधिक नहीं था और इसलिए भारत का रक्षा अधिनियम 1939 के तहत राजद्रोह नहीं माना जा सकता था,लेकिन राजा सम्राट बनाम सदाधिव नारायण भालेराव 1947 में प्रिवी काउंसिल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से अलग दृष्टि कोण रखा। केदारनाथ सिंह मामले को फिर से आधार मानते हुए बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995 में अभियुक्त पर राजद्रोह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन एक स्वतंत्र सिख बहुसंख्यक राज्य की मांग के पक्ष में नारेबाजी में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आरोपी के पक्ष में इस तर्क पर फैसला दिया कि विवादित भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इससे वाद मौजूद भी ड के मन में किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की संभावना नहीं थी बलवंत सिंह की कार्रवाई इसलिए देषद्रोह की श्रेणी में नहीं आती है। केदारनाथ सिंह के मामले में चर्चा किए हानिकारक प्रवृत्ति को यामें भी ध्यान में रखा गया इस तरह की प्रवृत्ति को आक्षेपित भाषण के परिणामों को देखकर पता लगाया जाता चाहिए। धारा 124 ए को इंदिरा गांधी सरकार ने इस्तेमाल में पहली बार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल कर 1974 में लागू हुई औपनिवेशिक काल की 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने वाली नई दंड प्रक्रिया संहिता1973 में राजद्रोह को स्पष्टीकरण प् घृणा या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष को उतेजित या उतेजित करने का प्रयास नहीं करते हैं। आजादी के बाद संविधान सभा की चर्चा के बाद 1948 में राजद्रोह को हटा दिया गया था। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता और पिशाचिद के एम मुंषी के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13, 2६ में शामिल राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संघोषण प्रस्तुत किया, इस प्रकार राजद्रोह शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय अनुच्छेद 19,1६,ए६ ने भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हालांकि उस दौरान भी भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में धारा मौजूद थी। भारत के विधि आयोग की 279 वी रिपोर्ट के बाद फिर से राजद्रोह कानून के उपयोग चर्चा का विषय बन दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के उपयोग से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए में बदलाव के साथ इसे बनाए रखने की सिफारिश की है। धारा 124 ए की कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है स्पष्टीकरण प् अप्रति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् उ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि धारा 124 ए से संबंधित कोई भी

सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का इरादा या उसकी उचित मंषा, उसके शब्दों या कार्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा राजद्रोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मामले के संबंध में यह माना गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया भाषण सरकार की आलोचना को कानूनी सीमा से अधिक नहीं था और इसलिए भारत का रक्षा अधिनियम 1939 के तहत राजद्रोह नहीं माना जा सकता था,लेकिन राजा सम्राट बनाम सदाधिव नारायण भालेराव 1947 में प्रिवी काउंसिल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से अलग दृष्टि कोण रखा। केदारनाथ सिंह मामले को फिर से आधार मानते हुए बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995 में अभियुक्त पर राजद्रोह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन एक स्वतंत्र सिख बहुसंख्यक राज्य की मांग के पक्ष में नारेबाजी में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आरोपी के पक्ष में इस तर्क पर फैसला दिया कि विवादित भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इससे वाद मौजूद भी ड के मन में किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की संभावना नहीं थी बलवंत सिंह की कार्रवाई इसलिए देषद्रोह की श्रेणी में नहीं आती है। केदारनाथ सिंह के मामले में चर्चा किए हानिकारक प्रवृत्ति को यामें भी ध्यान में रखा गया इस तरह की प्रवृत्ति को आक्षेपित भाषण के परिणामों को देखकर पता लगाया जाता चाहिए। धारा 124 ए को इंदिरा गांधी सरकार ने इस्तेमाल में पहली बार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल कर 1974 में लागू हुई औपनिवेशिक काल की 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने वाली नई दंड प्रक्रिया संहिता1973 में राजद्रोह को स्पष्टीकरण प् घृणा या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष को उतेजित या उतेजित करने का प्रयास नहीं करते हैं। आजादी के बाद संविधान सभा की चर्चा के बाद 1948 में राजद्रोह को हटा दिया गया था। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता और पिशाचिद के एम मुंषी के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13, 2६ में शामिल राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संघोषण प्रस्तुत किया, इस प्रकार राजद्रोह शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय अनुच्छेद 19,1६,ए६ ने भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हालांकि उस दौरान भी भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में धारा मौजूद थी। भारत के विधि आयोग की 279 वी रिपोर्ट के बाद फिर से राजद्रोह कानून के उपयोग चर्चा का विषय बन दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के उपयोग से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए में बदलाव के साथ इसे बनाए रखने की सिफारिश की है। धारा 124 ए की कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है स्पष्टीकरण प् अप्रति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् उ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि धारा 124 ए से संबंधित कोई भी

सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने का इरादा या उसकी उचित मंषा, उसके शब्दों या कार्यों से सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हिंसा के लिए उकसाना या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति या इरादा राजद्रोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मामले के संबंध में यह माना गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया भाषण सरकार की आलोचना को कानूनी सीमा से अधिक नहीं था और इसलिए भारत का रक्षा अधिनियम 1939 के तहत राजद्रोह नहीं माना जा सकता था,लेकिन राजा सम्राट बनाम सदाधिव नारायण भालेराव 1947 में प्रिवी काउंसिल द्वारा पूर्व में पारित निर्णय से अलग दृष्टि कोण रखा। केदारनाथ सिंह मामले को फिर से आधार मानते हुए बलवंत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य 1995 में अभियुक्त पर राजद्रोह के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन एक स्वतंत्र सिख बहुसंख्यक राज्य की मांग के पक्ष में नारेबाजी में शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आरोपी के पक्ष में इस तर्क पर फैसला दिया कि विवादित भाषण से सार्वजनिक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और इससे वाद मौजूद भी ड के मन में किसी भी तरह की हिंसा भड़काने की संभावना नहीं थी बलवंत सिंह की कार्रवाई इसलिए देषद्रोह की श्रेणी में नहीं आती है। केदारनाथ सिंह के मामले में चर्चा किए हानिकारक प्रवृत्ति को यामें भी ध्यान में रखा गया इस तरह की प्रवृत्ति को आक्षेपित भाषण के परिणामों को देखकर पता लगाया जाता चाहिए। धारा 124 ए को इंदिरा गांधी सरकार ने इस्तेमाल में पहली बार संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल कर 1974 में लागू हुई औपनिवेशिक काल की 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने वाली नई दंड प्रक्रिया संहिता1973 में राजद्रोह को स्पष्टीकरण प् घृणा या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। इसका मतलब यह है कि कानून सरकार के प्रति घृणा, अवमान या असंतोष को उतेजित या उतेजित करने का प्रयास नहीं करते हैं। आजादी के बाद संविधान सभा की चर्चा के बाद 1948 में राजद्रोह को हटा दिया गया था। संविधान सभा में कांग्रेस के नेता और पिशाचिद के एम मुंषी के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 13, 2६ में शामिल राजद्रोह शब्द को हटाने के लिए एक संघोषण प्रस्तुत किया, इस प्रकार राजद्रोह शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया जब इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, उस समय अनुच्छेद 19,1६,ए६ ने भाषण और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। हालांकि उस दौरान भी भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह के संबंध में धारा मौजूद थी। भारत के विधि आयोग की 279 वी रिपोर्ट के बाद फिर से राजद्रोह कानून के उपयोग चर्चा का विषय बन दिया है। आयोग ने रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के उपयोग से संबंधित आईपीसी की धारा 124ए में बदलाव के साथ इसे बनाए रखने की सिफारिश की है। धारा 124 ए की कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, जिसमें हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति के साथ, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या सात साल तक की अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है स्पष्टीकरण प् अप्रति में अभक्ति और शत्रुता की सभी भावनाएं शामिल हैं। स्पष्टीकरण प् घृणा, अवमान या अप्रति को उतेजित किए बिना या उतेजित करने का प्रयास किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई को अस्वीकृत व्यक्त करने वाली टिप्पणियां इस धारा के तहत अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण प् उ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ वास्तविक हिंसा या हिंसा के आसन्न खतरे के सबूत के बजाय हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए झुकाव होगा। आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि धारा 124 ए से संबंधित कोई भी

दुर्घटनाएं क्यों नहीं रुक रहीं सवाल पूछा जाएगा

प्रधानमंत्री जी ने रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया है। रेल मंत्री देश में नहीं हैं। प्रधानमंत्री रेल मंत्रालय को भी देख रहे हैं। यह व्यवस्था अपने में संतोषजनक नहीं है, यह बात तो स्पष्ट है। इस दुर्घटना के कारण यह तथ्य और उजागर हो गया है कि सरकार में जिम्मेदारियों का जिस तरह से बंटवारा होना चाहिए था, वह नहीं है। आज यदि प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, तो देश उनसे यह आशा करता था और हम भी यह आशा करते थे कि वह दुर्घटना स्थल पर जाएं और जो हत और आहत हुए हैं, उनको शोक संवेदना दें, उन्हें भरोसा दिलाएं। लेकिन महत्कारुजु जी गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी हमारे सामने नहीं है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह अब तक की हुई दुर्घटनाओं में से सबसे भयंकर दुर्घटना है। हो सकता है, इससे मिलती-जुलती और भी दुर्घटनाएं हुई हों। इस दुर्घटना के तीन पहलू हैं- एक तो तथ्यों का सवाल है कि वहां क्या हुआ? सरकार के वक्तव्य में इस पर प्रकाश डाला गया है, समाचारपत्रों में भी कुछ जानकारी है। एक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी थी, दूसरी गाड़ी उससे आकर टकरा गई, लोग मर गए। मरने वालों की संख्या सैकड़ों में है। मैं इस पहलू को बाद में लूंगा कि संख्या के बारे में देश में और सदन में सरकार व विरोधी पक्ष के बीच में अलग-अलग आंकड़े क्यों दिए जाने चाहिए? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। तथ्य अपनी जगह है, उन पर चर्चा होगी। किस छोटे कर्मचारी की गलती हुई, किस सिगनल मैन ने चूक की, एक गाड़ी खड़ी थी, तो उसकी सूचना क्यों नहीं दी गई, यह वह गाड़ी डेढ़ घंटे वहां खड़ी थी, तो क्या सूचना देना इतना कठिन था? इन तथ्यों पर बहस होती रहेगी, तथ्यों को उजागर किया भी जाना चाहिए, तथ्य जानना बहुत आवश्यक है।

लेकिन एक दूसरा पहलू है कि पिछले सालों में रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है, मैं गिनना नहीं चाहता, समाचारपत्रों ने आज तिथि के अनुसार, वर्ष के अनुसार उन्हें उद्धृत किया है। 7 जनवरी, 1991 से लेकर, जब कलकत्ता में एक दुर्घटना हुई थी, 15-16 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हो सकता है कि यह सदन समाप्त हो, उससे पहले कोई भयंकर दुर्घटना और भी हो जाए! दुर्घटनाओं की संख्या क्यों बढ़ गई है, यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए, इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

रेलवे दावा करता है और उस दावे को न मानने का कोई कारण नहीं है कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मैकनाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, सिगनलिंग की पद्धति बढ़ती जा रही है। दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए कदम उठाए गए हैं, मगर दुर्घटनाएं हो रही हैं... यहां पूरे रेलवे तंत्र का सवाल पैदा होता है। रेलवे को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, रेलवे द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए, उन सारे सवालों पर बहस जरूरी हो जाती है। जब दुर्घटना होती है, हम दो तरह की इन्कायरी करते हैं, कभी-कभी ज्यूडिशियल इन्कायरी होती है या रेलवे सेप्टी के जो इंस्पेक्टर हैं, वह जांच करते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। हमारी शिकायत है कि पूरी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती, उसके 1-2 पृष्ठ प्रकाशित कर दिए जाते हैं। सिफारिशों का क्या होता है, इसके बारे में सदन अनभिज्ञ है, देश को भी जानकारी नहीं है।...अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पूरे दुर्घटना सिस्टम पर एक प्रश्नचिह्न लग रहा है... क्या हम रेलवे सदन नहीं रोक सकते? फिर हम किस प्रांगत का दावा कर रहे हैं और रेलें सुरक्षा से चलें, यह बार-बार कहने का क्या अर्थ है? और यहां तंत्र का प्रश्न भी उठता है। लेकिन मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, वह है आंकडबिलिटी। दुर्घटना हो गई, 300 से ज्यादा लोग मर गए। पहले भी दुर्घटनाएं हुई थीं। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, कुछ इस्तीफा नहीं देते। केवल मंत्री का सवाल नहीं है, मैं सरकार की आंकडबिलिटी की बात कर रहा हूँ। यह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है। यह रेलवे यांत्रियों के प्रति उत्तरदायी है। अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो नैतिकता का तकाजा क्या है, यह सदन इसका उत्तर चाहता है? इसीलिए सरकार को कठघरे में खड़े करने की बात हो रही है। क्या सरकार जवाबदेह है? इन बढ़ती दुर्घटनाओं का उसके पास क्या उत्तर है? क्या वह अपने कर्तव्य के पालन में विफल नहीं रही है?

15 करोड़ छोटे किसानों की उपेक्षा नहीं की जा सकती!

यूरोपीय आयोग के अनुसार, वर्ष 2020 तक व्यक्तिगत डेटा का मूल्य (सिर्फ एक वर्ग डेटा का) 1 लाख करोड़ यूरो तक हो गया है जो कि यूरोपीय संघ के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8 प्रतिशत है। कोविड के बाद तो डेटा विश्व अर्थव्यवस्था का केन्द्र ही बन रहा है। बहुत से लोग डेटा को रुपये से अधिक मूल्यवान मानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि तेजी से विकसित हो रहे डेटा के उपयोग को देखते हुए अधिक से अधिक कंपनियां अपने या किसी और संगठन के डेटा पर अधिकार स्थापित करके अधिक से अधिक धन कमाने के लिए निलय नए तरीकों को खोज रही हैं। यह नई अर्थव्यवस्था, भारत के 15 करोड़ छोटे किसानों और उनके परिवार वालों के लिए नया अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। डेटा उपयोग से भारतीय किसानों को सही तरीके से बाजार, सूचना, वित्त और कृषि-लागत और सेवाओं के बेहतर संबंध के साथ ही साथ सही फसल उपाने में भी मदद कर रहा है। इसके विपरीत, यह 15 करोड़ छोटे किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अतिरिक्त डेटा मजदूर में भी बदल सकता है। ये कंपनियां फिर किसानों को ही दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों को बेचने के लिए अपने इसी डेटा की वजह से मूल्य वृद्धि कर लेंगी। ज्ञान ही साथ संरक्षणवाद भी स्थानीय किसानों को वैश्विक डेटा मजदूर में भी बदल सकता है। यह स्थिति एक स्वैच्छक और न्यायोचित फार्म डेटा प्रमाणन मानक के विकास की मांग करती है जो किसान संबंधी डेटा के उत्पादन और व्यापार के सामाजिक और आर्थिक निरन्तरता के सिद्धांत पर आधारित हों। डेटा दुनिया में वैचारिक विमर्श का हिस्सा

बनती जा रही है। कई मंचों पर एक वैचारिक ढांचा बनाने के उद्देश्य से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जैसे 'कच्चे माल के रूप में डेटा एक नया इंधन है जिन्हें एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से निकालने और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राजनीतिक-तर्कसंगतता समाज को बड़ी कंपनियों के निष्कर्षण प्रयासों का प्राकृतिक लाभार्थी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है यह ठीक वैसे ही जैसे कभी 'उपनिवेशवाद' को एक 'सभ्यता परियोजना' के रूप में पेश किया गया था! आज एक भारतीय किसान को अपने डेटा पर कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे वे अपने द्वारा उत्पादित फसलों का नियंत्रण नहीं रखते और लाभ नहीं ले पाते हैं। यदि किसान बड़ी कंपनियों को भविष्य में अपना विस्तृत कृषि लेखा-जोखा प्रदान नहीं करते हैं तो वे उच्च-मूल्य अपूर्ति श्रृंखलाओं से बाहर होने का जोखिम उठाते हैं। भारतीय किसान आज अपने व्यक्तिगत डेटा के साथ-साथ खेती की जानकारीए जैसे कि फसल विवरण, खेती के तरीके, लागत उपयोग, कीट-विवरण खर्चें का लेखा-जोखा और उत्पाद संबंधी आँकड़ें विभिन्न व्यवसायों को मुफ्त प्रदान करते हैं। किसान, 'सेवा शर्तें' और सहमति प्रपत्र जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं, जो उनकी समझ से बाहर होता है और जिनमें कंपनियों द्वारा अजीबो गरीब दावे बड़ चक्कर किए होते हैं, बाद में उनके डेटा का क्या होता है, इसके बारे में किसान कुछ भी नहीं जानते हैं। यह डेटा इन कंपनियों के लिए, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक लाभ पहुंचता है जो रसायनों को बढ़ावा देने और नई रासायनिक जरूरतों की पहचान करने में

सक्षम सिद्ध होता है और इसलिए संबंधित अनुसंधान और विकास में संभावित निवेश को बढ़ाने में भी उपयोगी होता है। खाद्य कंपनियों भी खरीद लागत कम करने, कीमतें निर्धारित करने, जोखिम कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए किसानों के डेटा का उपयोग करती हैं।सुपर मार्केट किसानों के पर्यावरणीय डेटा का उपयोग यूरोपीय बाजारों में भारी कार्बन कर से बचने के लिए और अपने नैतिक उपभोक्ताओं को सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील करने के लिए करता है। ऐसा करके यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वयं को सामाजिक और पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनी के रूप में स्थापित करते हैं। इस बारे में उचित चिंतन उठती है कि कृषि डेटा का मौलिक कौन है और बड़े व्यवसायों द्वारा एकत्र किए गए डेटा का सामाजिक किसके पास है, जो इसे अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल देता है। क्या उपग्रहों, ड्रोन, सेंसर और किसानों के मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा गोपनीयता संबंधी सवाल खड़े करते हैं? बेशक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि डेटा का आर्थिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है और इसका उचित हिस्सा किसानों तक कैसे पहुंचता है? भारत में ऐसी कोई प्रभावी स्वैच्छक या अनिवार्य संरचना नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि छोटे किसानों के लिए डेटा अर्थव्य

अब यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर रक्षा मंत्री की दो टूक...

नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दो टूक अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। जो कि वैश्विक संगठन की नैतिक वैधता को कमजोर करता है। यह जानकारी रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर सेना द्वारा राजधानी में आयोजित की गई एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दी। इस दौरान कार्यक्रम में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शोभा शर्मा भी मौजूद थीं। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, सेनाप्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा अताशी भी मौजूद थे।



बोले राजनाथ सिंह, बड़ी आबादी वाले देश को स्थायी सीट ना देना संगठन की नैतिक वैधता पर लगाता सवालिया निशान।

यूएन निकायों को बनाया जाए लोकतांत्रिक

रक्षा मंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के निकायों को अधिक लोकतांत्रिक, वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधि बनाया जाए। जब हम अतीत को याद करते हैं तो हमें मध्यि की ओर भी देखना चाहिए। पूरे संयुक्त राष्ट्र परिस्थितिकी तंत्र को देखना भी महत्वपूर्ण है और इसमें सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न लेने वाले निकायों को दुनिया की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के प्रति अधिक चिंतनशील बनाना है।

स्थायी सदस्यता की राह में रोड़े अटकता ड्रैगन

गौरतलब है कि वर्तमान में यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल दो साल का होता है। भारत भी सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रहा है और उसने पिछले साल दिसंबर महीने में अपना कार्यकाल पूरा किया है। भारत बीते लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन हर बार परिषद के पांच स्थायी सदस्य देशों में से एक यानी चीन द्वारा उसके इस प्रस्ताव की वीटो शक्ति के इस्तेमाल के जरिए रोक दिया जाता है। जबकि परिषद के बाकी चार अन्य वीटो पावर वाले देश सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में हैं।

1945 में हुई सुरक्षा परिषद की स्थापना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जिसमें तत्कालीन भारत भी हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल हुआ था। परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और यूएन में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। यहां बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के तमाम शांति अभियानों में भारतीय सेना की भागीदारी कुल करीब ढाई लाख से अधिक है। सेना के 5 हजार 300 कर्मी यूएन के आठ मिशन में तैनात हैं। भारत यूएन के अभियानों में भागीदारी करने वाला तीसरा सबसे बड़ा भागीदार देश है। यूएन चार्टर के तहत दुनियाभर में जारी संघर्षों के बीच शांति स्थापना के प्रयासों में लगे 159 भारतीय सैनिक अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं।

स्वर्ण संशोधन

प्लांट स्टीम लाइन में विस्फोट से 19 घायल

अनुगुल। ओडिशा में रेल दुर्घटना के बाद एक और हादसा हो गया। यहां टेंकनाल जिले के मेरामंडली स्थित टाटा स्टील प्लांट में मंगलवार को दोपहर एक बजे बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्लास्ट फर्नेस की स्टीम लाइन फट गई, जिसमें 19 श्रमिक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई, वहीं गंभीर रूप से घायल सभी श्रमिकों को कटक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंपनी में स्टीम लाइन विस्फोट में 19 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

चीन-रूस की दोस्ती से चौकन्ना हुआ भारत

वाशिंगटन। अमेरिका और भारत अपने सैन्य संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे पर कई बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें सैन्य हार्डवेयरों के सह-उत्पादन से लेकर लड़ाकू जेट टेक्नोलॉजी में भागीदारी जैसे बड़े हथियार सौदे शामिल हैं। अमेरिका ने इस तरह से रक्षा सौदे सिर्फ चुनिंदा देशों के साथ ही किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को इस हफ्ते नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक संभावित रक्षा रोड मैप को तैयार किया है। इसका अर्थ है।

भारत ने निकाली चीन की हेकड़ी

नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के मामले में भारत टॉप पायदान पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से साल 2022 में रिकॉर्ड संख्या में डिजिटल पेमेंट किए गए। इस दौरान करीब 89.5 मिलियन डिजिटल लेनदेन हुए हैं। भारत टॉप-5 लिस्ट में बाकी चार देशों से कहीं आगे है। माय गेव इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 46 फीसद रिपल टाइम पेमेंट किए गए। इस लिस्ट में ब्राजील दूसरे पायदान पर है। ब्राजील में 29.2 मिलियन डिजिटल पेमेंट हुए। जबकि चीन का तीसरा स्थान है।

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लाताड़ा

नई दिल्ली। आज के समय में ज्यादातर लोग ई-कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ई-कॉमर्स साइट्स का इस्तेमाल खरीदारी या दूसरी तरह की कोई भी शॉपिंग के लिए किया जाने लगा है। जैसे-जैसे समय के साथ खरीदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ई-कॉमर्स को लेकर ग्राहकों की शिकायतों का ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त चेतावनी दी।

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे पर सियासी संग्राम विपक्षी नेताओं ने घेरा, सरकार ने डोर्सी के बयानों को 'झूठा' बताकर किया खारिज

एजेंसी नई दिल्ली

ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के हालिया इंटरव्यू के बाद देश में राजनीति हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार को निशाने पर लिया है। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक बयान से भारत का राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। दूसरी ओर सरकार ने जैक डोर्सी के दावे को खारिज किया है। किसान आंदोलन के समय भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। कांग्रेस, आप, सपा, टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। डोर्सी ने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग प्वाइंट्स को दिए एक इंटरव्यू में चीकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के समय ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने ट्वीट में कहा, भारत में जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ विदेशी ताकतें और यहां उनके एजेंट एक योजनाबद्ध तरीके से देश को अस्थिर और बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं। उन्होंने दावा किया कि जैक डोर्सी सफेद झूठ बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि डोर्सी के समय ट्विटर प्रशासन को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत होती थी। उन्होंने कहा, कोई जेल नहीं गया और ना ही ट्विटर बंद किया गया। चंद्रशेखर ने ट्वीट किया, डोर्सी और उनकी टीम ने 2020 से 2022 तक बार-बार कानूनों की अवमानना की और जून 2022 में ही उन्होंने आखिरकार अनुपालन शुरू किया। उन्होंने कहा, एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उसके कानूनों का भारत में संचालित सभी कंपनियां पालन करें। चंद्रशेखर ने कहा, जनवरी 2021 में प्रदर्शनों के दौरान अनेक उध्मचार किए गए और यहां तक कि नरसंहार की खबरें थीं जो कि निश्चित रूप से फर्जी थीं।

ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक बयान से भारत का राजनीति पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों के सरकार को घेरने पर सरकार ने डोर्सी के दावे को खारिज किया है। मंत्री अनुराग ठाकुर कहा कि भारत में जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ विदेशी ताकतें देश को अस्थिर और बदनाम करने के लिए सक्रिय होते हैं।



भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई - खरगो

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि बीजेपी-आरएसएस के राजनैतिक वंशज जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिन्दुस्तानियों के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों के पक्ष में लड़े वो ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर राष्ट्रवाद का ढोंग न रवे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'अंग्रेजों की गुलामी से भाजपा ने केवल तानाशाही की टूलकिट अपनाई है। खरगे ने कुछ प्वाइंट भी मंगलवार (13 जून) को ट्वीट किए। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया।

केजरीवाल व टीएमसी ने भी दी प्रतिक्रिया

ट्विटर के पूर्व सीईओ के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर देश के अंदर किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। मामले पर ऑल इंडिया तुलमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ट्वीट करते हुए कहा, अंग्रेजों या इस मामले में हिप्पी हुई धमकी। जैक डोर्सी के हालिया एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे बीजेपी सरकार की ओर से किसानों के विरोध और सरकार की आलोचना करने वालों के एकाउंट के ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी।

भारत हमारे लिए बड़ा बाजार - डोर्सी

पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने सोमवार को यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जैक डोर्सी से 'ताकतवर लोगों' की मांगों के संबंध में सवाल पूछा गया था। इस सवाल में जवाब में उन्होंने भारत का नाम लेते हुए किसान आंदोलन के समय की कहानी बताई। इंटरव्यू में जैक डोर्सी से पूछा गया, दुनियाभर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगें करते हैं, आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? इस सवाल के जवाब में जैक डोर्सी ने कहा, मिसाल के तौर पर भारत एक ऐसा देश है, जहाँ से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगें आ रही थीं। कुछ खास पत्रकार जो सरकार के आलोचक थे, उनके अकाउंट बंद करने के बारे में हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है। आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मार देंगे, जो उन्होंने किया। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है।

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का दौरा जेक सुलिवन की एनएसए अजित डोभाल से हुई मुलाकात

एजेंसी नई दिल्ली

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन अपने समकक्ष अजित डोभाल के न्योते पर दो दिवसीय भारत के आधिकारिक दौरे आए। उनके साथ अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों एनएसए एक व्यापक द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर व्यापक चर्चा में नियमित रूप से लगे हुए हैं।



सीईटी के लिए नई प्राथमिकताओं के लिए अवसर जेक सुलिवन की वर्तमान यात्रा इस प्रकार दो एनएसए के लिए अब तक की प्रगति की समीक्षा करने और सीईटी के लिए नई प्राथमिकताएं और उद्देश्य निर्धारित करने का अवसर प्रदान करेगी।

24 घंटे में मारे गए 7 आतंकी

जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दो और आतंकी किए ढेर



एजेंसी नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। हाल ही में सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के बाद एक आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चलाया जिसमें 4 आतंकवादी ढेर हुए। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षाबलों ने यहां मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है।

आतंकियों से एके-47 व हथियार मिले कश्मीर जंगल के आतंकवादी कुपवाड़ा सहित एलएटी के दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले बरामूला जिले में सोमवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया था।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री सिंह 'आईएनएस विक्रान्त' पर करेंगे योग



कविता जोशी नई दिल्ली

अगले सप्ताह 21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत 'आईएनएस विक्रान्त' पर योग करेंगे। जिसमें उनके साथ सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के तमाम शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह दूसरा ऐसा मौका होगा जब रक्षा मंत्री किसी विमानवाहक युद्धपोत पर योगासन करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्होंने गोवा में भारत के एक अन्य विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर योग किया था। वहीं इस बार योग दिवस के दौरान विक्रान्त केरल में तैनाती पर रहेगा। जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस वर्ष योग दिवस की थीम

इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुम्बकम् के लिए योग रखी गई है। भारत के अलावा 21 जून को दुनियाभर के तमाम देशों में योग किया जाएगा। आर्कटिक से अंटार्कटिका तक के क्षेत्र में भी योग आयोजन किया जाएगा। जिसमें प्राइम मेरिडियन लाइन पर या उसके आसपास के देश भी योगाभ्यास में शामिल होंगे। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में भी योग आयोजन होगा। हिमाद्रि-श्वालबाई, आर्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र और भारतीय, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्र में भी दुनियाभर के लाखों अन्य लोगों के साथ इस उत्सव में शामिल होने की संभावना है। आईएनएस विक्रान्त और आईएनएस विक्रमादित्य के पलाइव डेक भी तालमेल दिखाते हुए योगाभ्यास का प्रदर्शन करेंगे।

गृह मंत्रालय का एक्शन एनजीओ केयर इंडिया का एफसीआर लाइसेंस रद्द

एजेंसी नई दिल्ली

भारत सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए एनजीओ केयर इंडिया के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 के कथित उल्लंघन को लेकर यह कड़ा कदम उठाया है। एनजीओ केयर इंटरनेशनल कंसेशन का हिस्सा है, जो पिछले 70 वर्षों से गरीबी उन्मूलन और सामाजिक बहिष्कार जैसे उद्देश्यों के साथ भारत में काम कर रहा है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक एनजीओ को अपने एफसीआर रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने के लिए नोटिस दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केयर इंडिया, जो बिल एंड मैरिंज गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, मलाला फंड और यूएसएआईडी जैसे भागीदारों के साथ काम करती है, उसने निलंबन नोटिस की पुष्टि की।



राहुल गांधी ने वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक उठाया ट्रक के सफर का लुत्फ

एजेंसी न्यूयॉर्क

राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता के सवाल के जवाब में ड्राइवर बताया है कि वो ट्रक चलाकर करीब 8 लाख रुपए महीने कमा लेते हैं। राहुल गांधी 10 दिनों के लिए अमेरिका यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने भारतीय ड्राइवर तजिंदर सिंह से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में ट्रक को ड्राइवर को कम्पर्ट को देखकर तैयार किया गया है, लेकिन हिन्दुस्तान में जो ट्रक हैं उसको ड्राइवर के कम्पर्ट से कुछ लेना-देना नहीं है।

यहां खुद के ट्रक नहीं होते, दूसरों के ही चलाते हैं



भारतीय ड्राइवर ने अमेरिका और हिन्दुस्तान के ड्राइवरों में फर्क को बताते हुए कहा कि यहां यानी अमेरिका में ड्राइवर अच्छे पैसे कमा लेते हैं और सर्वाइव भी कर जाते हैं लेकिन

इंडिया में ड्राइवरों को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। भारत में अधिकतर ड्राइवर के पास खुद की ट्रक नहीं होती है वो दूसरों की ही ट्रक चलाते हैं।

अमेरिका जाने से पहले ट्रक से किया था शिमला का सफर

अमेरिका दौरे पर जाने से पहले राहुल गांधी भारत में भी ट्रक की सवारी की थी। राहुल गांधी दिल्ली में ट्रक में सवार हुए थे और शिमला तक का सफर किया था. सफर के दौरान राहुल गांधी ड्राइवर से बात कर ड्राइवरों के दौरान होने वाली परेशानियों के संबंध में बात भी की थी।

दूरसंचार कंपनियों गोपनीयता के मुद्दों को लेकर सतर्क एआई फिल्टर से लगेगी अनचाही कॉल्स पर लगाम, कंपनियों को 30 दिन का अल्टीमेटम

एजेंसी नई दिल्ली

जल्द ही आपको अनचाही और स्पैम कॉल्स से छुटकारा मिलने वाला है। ट्राई ने टेलिकॉम कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने के निर्देश दिए हैं। टेलिकॉम कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर एआई फिल्टर लगाने होंगे. इसके साथ ही कंपनियों को अनचाही कॉल का डाटा भी कॉमन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना पड़ेगा। ट्राई ने अनाउंसमेंट की थी कि 1 मई 2023 से टेलिकॉम कंपनियों को एआई फिल्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये फैसला बढ़ते स्पैम कॉल्स और स्कैम को रोकने के लिए किया गया था।



स्पैम कॉल्स पूरी तरह से नहीं रुकी

कैसे काम करेगा एआई फिल्टर?

एआई फिल्टर की मदद से ऐडवर्टाईजिंग वाले फोन कॉल और प्रमोशनल मेसेज की पहचान होगी। इसके बाद ऐसे नंबरों को ब्लॉक किया जाएगा। इसके साथ ही टेलिकॉम कंपनियों के ली कॉलर आईडी फीचर देना होगा। इसके जरिए कॉल करने वाला नंबर स्पैम है या नहीं इसका पता लग जाएगा। नए नियमों के अनुसार 10 अंकी वाले ऐसे नंबर जो मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वह बंद कर दिए जाएंगे।

स्क्रीन पर दिख जाएगी फोटो

एआई फिल्टर के साथ, नियामक प्राधिकरण ने 10-अंकीय नंबरों पर प्रमोशन कॉल्स को प्रतिबंधित करने के साथ ट्राई की एक कॉलर आईडी सुविधा शुरू करने की योजना है जो कॉलर आने के समय कॉलर का नाम और फोटो स्क्रीन पर दिखाएगी। हालांकि, दूरसंचार कंपनियों गोपनीयता के मुद्दों को लेकर सतर्क हैं रचने के साथ कॉलर आईडी फीचर के कार्यान्वयन के संबंध में ट्राई के साथ चर्चा कर रही है। एफ.सी.आर. निकाय सीओएआईडी को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएसपी) के अनिवार्य कार्यान्वयन का विरोध करते हुए दूरसंचार ऑपरेटर्स के लिए वैकल्पिक बनावे का अनुरोध किया। एसोसिएशन ने शामिल लागू होने के संबंध में टिकाओं का हवाला देते हुए ट्राई के साथ एक तकनीकी, गोपनीयता और नियामक रिपोर्ट दायर की गई।

गुजरात की ओर बढ़ रहा बिपरजाँय

मुंबई-भुज-राजकोट में 5 की मौत; कच्छ-सौराष्ट्र में तट से 10 किमी तक का इलाका खाली कराया जाएगा



पोरबंदर (एजेंसी)।

अरब सागर में उठा तूफान बिपरजाँय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखी पोर्ट से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किमी/घंटे तक की रफतार से हवाएं चल सकती हैं। उससे पहले अच्छी बात यह है कि तूफान कुछ कमजोर हुआ है। हालांकि यह अब भी खतरनाक ही है।

तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी-बारिश का दौर जारी है, जिसमें पांच लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के तटीय जिलों- कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़ और मोरबी के तूफान प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक 7500 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। कच्छ-सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10

किलोमीटर की सीमा में स्थित गांवों के 23 हजार लोगों को आज से शिफ्ट किया जाएगा। उधर, अमित शाह ने आज दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की।

गुजरात के द्वारका से 290 किमी दूर है तूफान

मौसम विभाग के मंगलवार सुबह 9 बजे के अपडेट के मुताबिक, तूफान 8 किमी/घंटे की स्पीड से नॉर्थ-वेस्ट में आगे बढ़ रहा है। तूफान मंगलवार सुबह 5:30 बजे पोरबंदर से 300 किमी, द्वारका से 290 किमी, जखी पोर्ट से 340 किमी, नालिया से 350 किमी दूर था। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ-नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ेगा।

राजस्थान के 12 जिलों में तूफान बिपरजाँय का खतरा

गुजरात जाने वाली ट्रेनें कैसिल, अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट

चमकता राजस्थान, जयपुर। अरब सागर में बने तूफान (चक्रवात) बिपरजाँय का असर राजस्थान में 15 जून से दिखने लगेगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में इस तूफान के कारण बारिश देखने को मिल सकती है। कुल 12 जिलों में इसका खतरा बना रहेगा। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से गुजरात के पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम जाने वाली वाली एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के संचालन को आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या 15 जून की सुबह ये चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट से टकराने के बाद ये चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन और राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में लो-प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके असर से इन एरिया में एक-दो दिन भारी बारिश होगी। इस चक्रवात से राजस्थान में नुकसान होने की आशंका बहुत कम है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान तक पहुंचने तक इस चक्रवात की हवाओं की स्पीड भी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन मोड़कर लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण दो दिन कई जगहों पर भारी बारिश (60 से लेकर 100रू तक) बारिश दर्ज हो सकती है।

16-17 को सबसे ज्यादा असर

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 15 जून को इस सिस्टम असर से आंधी बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद ही शुरू हो जाएगी। जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में 16 जून को कहीं-कहीं भारी



बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति 45 से 55 चक्र प्रतिघंटा तक दर्ज हो सकती है। 17 जून को भी इस सिस्टम का असर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग कुछ भागों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में दिखेगा असर

इस चक्रवात का असर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोंही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में देखने को मिलेगा। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

तूफान से ट्रेनों का संचालन रूका

चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के तटीय जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और यहां भारी से अतिभारी बारिश होने की आशंका जताते हुए यहां 100 से 130चक्रकी स्पीड से तूफान आने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए उत्तर पश्चिम और उत्तर रेलवे जोन ने गुजरात जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों का संचालन को आंशिक और पूर्ण रद्द करने का निर्णय किया है।

पत्नी के सामने सुसाइड की कोशिश

धमकाया- 'मैं तो मरुंगा, तुम्हें भी मरवाऊंगा' और काट ली हाथ की नसें

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की आंखों के सामने सुसाइड की कोशिश की। उसने अपने हाथ की नसें ब्लेड से काट डाली।

धमकाया- मैं तो मरुंगा और तुम्हें भी मरवाऊंगा: गंभीर हालत में उसे स्क्रू हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मानसरोवर थाने में पत्नी ने पति के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज करवाया है। ASI कालूराम ने बताया कि गोपालपुरा बाईपास मानसरोवर निवासी 33 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसमें बताया गया कि करीब 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी।

ससुराल में झगड़ा होने पर कुछ दिन साथ रहने के बाद वो पीहर आ गई। पति भी आकर उसके साथ पीहर में ही रहने लगा। आपसी सुलह के बाद करीब 6 महीने से किराए का मकान लेकर पति के साथ जयपुर में ही रहने लगा। कुछ दिनों बाद पति ने घर खर्च देना भी बंद कर दिया। शराब पीकर मारपीट करने लगा। परेशान होकर वह 10 जून को सुबह करीब 8.30 बजे वह अपने घर (पीहर) आ गई। पीछे-पीछे पति अपनी मां, बहन-भाई को लेकर पीहर आया और गाली-गलौज कर मारपीट करने की कोशिश की। जाते-जाते धमकी देता हुआ गया कि तुझे शाम को बताता हूं। शाम करीब 7:30 बजे शराब के नशे में पति घर आया। हाथ में ब्लेड लेकर जान से मारने की धमकी देकर वार किया। महिला ने खुद का बचाव करते हुए पुलिस को बुलाने की बात कही। ये सुनकर पति ने ब्लेड से खुद के हाथ की नसें काट ली।

पांच मेजर मिनरल ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर 21 जून तक नीलामी

जयपुर, (कासं)। प्रदेश के निदेशक माइस संदेश नायक ने बताया है कि राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जयपुर के पांच मेजर मिनरल ब्लॉकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक ई नीलामी की इस प्रक्रिया में निविदादाता 21 जून तक बोली लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उदयपुर के हरियाव जसपुरा के 94.62 हेक्टर क्षेत्रफल के लाइम स्टोन के ब्लॉक की माइनिंग लीज के लिए नीलामी की जा रही है।

हाई सिक्वोरिटी जेल के कार्मिकों ने काली पट्टी बांधकर की ड्यूटी, वेतन विसंगति को लेकर नाराजगी

जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक ने जताया विरोध

चमकता राजस्थान, अजमेर। पुलिस और जेल विभाग कर्मचारियों में वेतन विसंगति को लेकर जेल कार्मिकों का विरोध एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्वोरिटी जेल के कार्मिकों के द्वारा मंगलवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जेल कार्मिकों ने विरोध जताते हुए कहा कि 7 दिनों तक काली पट्टी बांधकर ड्यूटी करते हुए सभी कार्मिक अपना विरोध करेंगे। अगर इसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल कर अपना काम करते हुए विरोध जाहिर करेंगे। हाई सिक्वोरिटी जेल में मंगलवार से जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक सभी ड्यूटी पर रहकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो उसके बाद आगे की कार्यकारिणी तय होगी। मंगलवार सुबह हाई सिक्वोरिटी और सेंट्रल जेल में जेल कार्मिकों ने इकट्ठा होकर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर



किया। जेल कार्मिक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों में वेतन विसंगति के साथ-साथ कार्मिकों को मिलने वाले भत्ते व अन्य सुविधाओं में भी अंतर है। पदोन्नति को लेकर भी कई बिंदुओं पर आपत्ति है। जनवरी में हुए आंदोलन के बाद मुख्यमंत्रियों प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करके

जल्द मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, इसके प्रस्ताव बनाकर जब वित्त विभाग को भेजा तो पहली बार में उसे निरस्त कर दिया गया और दोबारा भेजा गया प्रस्ताव आज तक लंबित है। जेल कार्मिकों ने कहा कि 1998 से पहले राजस्थान पुलिस और जेल कार्मिकों का वेतन और भत्ता समान है, लेकिन राजस्थान के जेल कार्मिकों का नहीं है। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।



जयपुर डिस्कॉम- एमनेस्टी योजना का 61 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ

जयपुर, (कासं)। सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा जनवरी माह में लागू की गई एमनेस्टी योजना का मई माह तक 61 हजार 606 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर देय 31 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान की है और इससे डिस्कॉम को 130 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। योजना 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेगी और इस दौरान मूल बकाया राशि जमा करने पर उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शन के 21649 उपभोक्ताओं द्वारा 64 करोड़ 63 लाख 39 हजार रुपए की राशि जमा करवाकर 16 करोड़ 24 लाख 56 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट का लाभ प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के अतिरिक्त अन्य

श्रेणियों के 31 दिसम्बर, 2022 तक के 39957 डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर 14 करोड़ 81 लाख 94 हजार रुपए के विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज राशि की छूट का लाभ प्राप्त किया है और इनसे डिस्कॉम को 65 करोड़ 90 लाख 46 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। कुमावत ने बताया कि सभी अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान कर दिए हैं कि डीसी (डिसकनेक्टेड कन्स्यूमर) व पीडीसी (परमानेंट डिसकनेक्टेड कन्स्यूमर) उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर बकाया राशि की वसूली के कार्य में तेजी लाएं और आगामी 6 माह में इस तरह के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर संभागीय मुख्य अभियन्ता के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं एवं उनको निर्देशित किया गया है कि जांच के दौरान बिजली चोरी मिले तो वीसीआर भर कर जुर्माना राशि के साथ ही पूर्ण की बकाया राशि की भी की वसूली की जाए।

खेत पर आवास के लिए 50 लाख रुपये तक का मिलेगा ऋण

जयपुर, (कासं)। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसान को खेत पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपये तक का ऋण तीन किशतों में उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा। यह ऋण दीर्घकालीन अवधि (15 वर्ष) का होगा। गुहा सोमवार को अपेक्स बैंक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मंहवाई राहत कैम्प में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों को शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जाना है। अभी तक 2.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्होंने निर्देश दिए कि राजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।

आर्ट कैम्प में जुटे प्रदेशभर के 50 से अधिक चित्रकार कैनवास पर शुरू किया चित्र बनाना, पहली बार राजस्थान ललित कला अकादमी ने दिया मंच

जयपुर, (कासं)। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से सोमवार से राज्य स्तरीय कैम्प की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक, पद्मशाकिर अली, कलाविद् सुब्रतो मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया। अकादमी के उप चेयरमैन डॉ मूलाराम गहलोत, सचिव डॉ रजनीश हर्ष व कला शिविर संयोजक अमित हारित सहित अकादमी के सदस्यों ने कलाकारों का स्वागत किया। राजस्थान ललित कला अकादमी के चेयरमैन मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने जानकारी देते हुए बताया सोमवार से राजस्थान राज्य के विभिन्न शहरों और गांव के 50 कलाकारों का चित्रकला शिविर शुरू हुआ है। सका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक,



पद्मशाकिर अली, कलाविद् सुब्रतो मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया। सका उद्घाटन मुख्य अतिथि राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा, उपाध्यक्ष सुशील पारीक, शाकिर अली, कलाविद् सुब्रतो मंडल और अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास मूर्तिकार ने कैनवास पर पेंट करते हुए किया।

इस युवा चित्रकार प्रोत्साहन कला शिविर में जयपुर सहित उदयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, टोक, पाली, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, किरानगढ़, वनस्थली, सीकर, जोधपुर, दौसा, सरदार शहर, राजगढ़, बूंदी सवाईमहोपुर आदि जगहों के कलाकारों शामिल हुए हैं। तीन दिन तक कलाकार अकादमी परिसर में रह कर लाइव पेंट करेंगे।

ये कलाकार हुए शामिल : इसमें कृष्ण कुंडरा, विजय कुमावत, सुरेन्द्र सिंह, दिलीप डामोर, राम खिलाड़ी सैनी, श्रीकृष्ण महीश, सुमन जोशी, अजय मिश्रा, विकास मीणा, किर्ति सिंह, शिखा कुमारी, करुणा, अनुश्रिया राजावत, वर्षा झाला, दिव्या चौहान, ईरा टाक भाग ले रहे हैं। अकादमी के चेयरमैन लक्ष्मण व्यास ने बताया कि कला शिविर के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य ऐसे कलाकारों को सामने लाना है, जो कि विगत वर्षों में हाशिये पर रहे हैं और श्रेष्ठ सृजन कार्य होने पर भी जिनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाई। इस शिविर में अधिकांश कलाकार युवा हैं और वे हैं जिन्हें अकादमी के किसी आर्ट कैम्प में भाग नहीं लिया है। कला शिविर के संयोजक अमित हारित ने बताया कि सभी कलाकारों की अपनी विशिष्ट शैली है, जिसे वे तीन दिवसीय कला शिविर में रूप प्रदान करेंगे।

महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाना दो पायलट को पड़ा महंगा, एयर इंडिया ने दोनों को किया रोस्टर से आउट

नई दिल्ली (एजेंसी)। अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में आमंत्रित करने पर एयर इंडिया के एक पायलट को उड़ान भरने से रोके जाने के एक महीने बाद फिर ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है। दरअसल, एयरलाइन ने पिछले सप्ताह दिल्ली-लेह उड़ान के कॉकपिट में एक महिला को आमंत्रित करने के मामले में अब दो पायलटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

दो पायलट को एयर इंडिया ने किया ऑफ रोस्टर

विमान के कॉकपिट में एक अनधिकृत महिला यात्री के प्रवेश करने के संबंध में केबिन क्रू से शिकायत मिलने के तुरंत बाद एयर इंडिया प्रबंधन ने पायलट और सह-पायलट के खिलाफ कार्रवाई की। एयर इंडिया के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया, पायलट की एक महिला मित्र ने नियमों का पालन किए बिना कॉकपिट में प्रवेश किया, दोनों पायलटों को एयर इंडिया द्वारा ग्राउंड/ऑफ-रोस्टर कर दिया गया है।

जांच के लिए बनाई गई समिति

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, डीजीसीए इस मुद्दे से अवगत है और इस मामले में प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, एयर इंडिया की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एक अधिकारी ने बताया, एयर इंडिया ने इस मामले की विस्तार से जांच के लिए एक समिति बनाई है।

लेह के लिए कुशल पायलट को होता है चयन

लेह मार्ग सुरक्षा के लिहाज से देश के सबसे कठिन और संवेदनशील हवाई मार्गों में से एक है और एक वाणिज्यिक विमान में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को कॉकपिट में अनुमति देना कानून का उल्लंघन है।

जल के अपव्यय को रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी - महंत भगवानदास



कौशल गौशाला जाम्बा में ओरण आरती कार्यक्रम के पोस्टर का हुआ विमोचन

बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

बाप ब्लॉक के कौशलनगर में संचालित कौशल गौशाला में ओरण आरती परिक्रमा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए गौशाला संचालक व आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक महंत भगवानदास ने कहा कि धरती पर पीने योग्य पानी मात्र 3 फीसदी ही है। पानी के अपव्यय को रोकना पुण्य का काम है। कई देशों में पानी की कमी के कारण घरों के जल नल कनेक्शन काटे गए। वहां नहाने पर प्रतिबंध है। ऐसी स्थिति हमारे यहां नहीं आये, इसलिए पानी सहेजकर रखें। उन्होंने कहा कि जल के बिना हमारा कल सुरक्षित नहीं है। घरों के नलों से टपकने वाले पानी को बन्द करने, कार व गाड़ी प्रतिदिन धोने की आदत में बदलाव लाने, घर के आंगन को सूखे पोचे से साफ करने, बगीचे में कम पानी का उपयोग करने की हिदायत देते हुए महंत ने कहा कि हम सब मिलकर पानी के आने वाले संकट को रोकने में योगदान करे। हमारी छोटी पहल से आने वाले सूखे में पानी बचाने का पुण्य होगा। धरती पर गाय से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। उसकी सेवा से सकुन मिलता है। हमें पेड़ लगाने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। एक पेड़ चार आदमों को जिंदा रख सकता है। पेड़ों की कटाई बहुत चिंता की बात है। तुलसी, पीपल, नीम, बरगद दुसरो के मुकाबले ज्यादा आक्सीजन देते हैं। इन्होंने बारिश के बाद एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। महंत ने बताया कि गौशाला परिसर में इस समय 40 हजार विभिन्न किस्म के पौधे लहलहा रहे हैं। इस वर्ष 5 हजार पौधे और जनसहयोग से लगाने का लक्ष्य है। पेड़ पौधों से ग्रह, नक्षत्र के बुरे प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है। पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए केवल वेद लक्षणा गो माता ही है। 27 जून को कोलू पाबूजी मे आयोजित होने वाले एतिहासिक कार्यक्रम ओरण आरती महोत्सव के बैनर का विमोचन भी किया गया। इस मौके संत ओमप्रकाश, महेश्वरी समाज बाप अध्यक्ष अशोक चाण्डक, सीमाजन कल्याण समिति जिला अध्यक्ष अखेराज खत्री, गो सेवक जगदीश चाण्डक, विजय कुमावत, पशुधन सहायक महिपाल विश्नोई, डूंगर राम, मालाराम फुलानी, जगदीश विश्नोई, बंसी पंवार आदि उपस्थित थे।

डोटासरा बोले- बीजेपी में मनभेद, वसुंधरा-पूनिया प्रदर्शन में क्यों नहीं कहा...परोपकारी महिला नाथी बाई का अपमान कर रहे बीजेपी नेता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री

चमकता राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के प्रदर्शन को प्लॉप शो बताते हुए कहा कि 25 हजार बुलाए थे और 2500 भी नहीं आए। बीजेपी की सभा में कुर्सीयां खाली पड़ी थीं। आज के प्रदर्शन में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया का मौजूद रहना यह साबित करता है कि इनके मतभेद ही नहीं मनभेद हैं। बीजेपी किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक नहीं हो पाई। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। नाथी का बाड़ा तक ईडी पहुंचने के राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए डोटासरा ने कहा- ईडी अपराधियों तक जाए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नाथी बाई एक समाजसेवा ब्राह्मण परोपकारी महिला थीं, वे सबको मदद करती थीं। किसी से मदद के बदले कुछ नहीं लेती थीं। ऐसी भली महिला का बार-बार गलत अर्थों में नाम लेकर उसका अपमान किया जा रहा है। ऐसी महिला जिसको हम सम्मान से नाम लेते हैं, उसका अपमान किया जा रहा है। अब ये जुमलेबाजी कर रहे हैं बाकी इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष

बीजेपी के 200 मुख्यमंत्री बताने के आरोप पर डोटासरा ने कहा कि वे कम बता रहे हैं। हमारे यहां तो हर जिस कार्यकर्ता ने सरकार बनाने में भूमिका निभाई वह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष की तरह ही है। बीजेपी की तरह दो या तीन लोग ही सत्ता पर काबिज नहीं होते, कांग्रेस में हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है।



बीजेपी के मंत्र पर एक भी ओबीसी नेता को बोलने नहीं दिया

डोटासरा ने कहा- बीजेपी किसी भी विरोध प्रदर्शन में एक नहीं हो पाई। आज के प्रदर्शन से वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के नहीं होने से साबित होता है इनके मतभेद नहीं मनभेद हैं। आज जितने भी वक्ता थे उनमें एक भी नेता ओबीसी का नहीं था। ओबीसी के हितैषी होने का राग अलापने वाली बीजेपी ने किसी ओबीसी नेता को बोलने का मौका तक नहीं दिया। राजेंद्र राठौड़ भाषण दे रहे थे जो 500 लोग भी नहीं थे। इनकी दुर्गति देखिए कार्यकर्ताओं को भाषण सुनाने के लिए कसमें दिलाई जा रही थी। बीजेपी के नेताओं में इतने मनभेद हैं कि एक नहीं हो सकते। स बीजेपी का ईडी का मुद्दा ही खत्म हो गया

डोटासरा ने कहा- कर्नाटक को हार से बौखला कर बीजेपी नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सरकार पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरह से धमकी भी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। ये डेढ़ साल से एक ही राग

अलाप रहे हैं कि ईडी आएगी। अब तो ईडी आ गई। ईडी जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। जो दोषी होगा जिसने अपराध किया होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी उस पर कार्रवाई हो जाएगी।

अब तो मोदी का चेहरा भी फोका पड़ गया

डोटासरा ने कहा- बीजेपी के नेता एकजुट नहीं हैं। मोदीजी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, अब मोदीजी का चेहरा भी फोका पड़ गया। मोदी के चेहरे पर न पंजाब जीत पाए न कर्नाटक। आरएसएस ने भी कह दिया कि अब मोदी के भाषणों या मन की बात से और मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता।

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अपने ही नेताओं के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं

डोटासरा ने कहा- योजना भवन में केश और गोल्ड मिलने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसमें दोषी अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो गई। बीजेपी राज में माइनिंग घोटाला हुआ था, उसमें हमने आंदोलन किया तब जाकर अफसर को सस्पेंड किया था। बीजेपी राज में जो घोटाले हुए उसमें आज के बीजेपी के नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही नेताओं की तरफ उंगली उठाकर साजिश रच रहे हैं। उनको पॉलिटेक्निकली टारगेट करके मुद्दे उठाकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कह रहे हैं कि 2013 में आईटी विभाग में घोटाले हो रहे हैं। उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी।

डीआरएम से जवाब मांगा : जयपुर-उदयपुर स्टेशन व रूट की ट्रेन में अव्यवस्थाएं, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया

चमकता राजस्थान, जयपुर। हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसन्नान लेते हुए अजमेर व जयपुर डीआरएम से जवाब मांगा है। मामला जयपुर व उदयपुर रेलवे स्टेशन सहित उदयपुर जाने वाली ट्रेन में अव्यवस्थाओं का है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को तय कर उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कहा है कि वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या रेलवे मजिस्ट्रेट से इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी लें। यह निर्देश जस्टिस सुरेश बंसल ने दिया

है। दरअसल, जस्टिस बंसल 12 जून को सुबह 6:15 की ट्रेन से उदयपुर गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि जयपुर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर अनियंत्रित निजी वाहनों के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। निजी वाहनों को स्टेशन बिल्डिंग के नजदीक जाने की छूट होने और इन्हें नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा। ट्रेन में बैठने की सीट, टॉयलेट और गेट का भी उचित रखरखाव नहीं था। उदयपुर के राणा

प्रताप स्टेशन पहुंचने पर जस्टिस बंसल को वैटिंग हॉल बंद मिला, वहां मंटेनेंस रजिस्टर भी नहीं था। स्टेशन मास्टर का ऑफिस भी बंद था। स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी। स्टेशन पर एरिया ऑफिसर व उच्चाधिकारियों के संपर्क नंबर तक नहीं थे। ऐसे में जस्टिस बंसल ने पाया कि इन सुविधाओं को प्राप्त करना यात्रियों का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्हें यहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

तवर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त

बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

बाप निवासी मुरलीधर तंवर को अखिल भारतीय दर्जी महासभा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय दर्जी महासभा के लिखमाराम परिहार ने बताया कि राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय अनुसार बाप निवासी मुरलीधर तंवर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तंवर को नवीन दायित्व की जिम्मेदारी सौंपते हुए समाज हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तवे के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर समाज बंधुओं सहित आमजन ने खुशी व्यक्त की है।

पातावत ने किया क्षेत्र का दौरा



बाप/कविकान्त खत्री/चमकता राजस्थान

राजपूत महासभा फलोदी के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवी कुंभसिंह पातावत बाप क्षेत्र के दौर पर रहे। बाप में शिक्षक नेता टीकमचंद पालीवाल को पुत्री के विवाह समारोह में पातावत ने शिरकत करते हुए नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान पूर्व उप प्रधान जगदीश पालीवाल, समाजसेवी अखेराज खत्री, कांग्रेस नेता नंदकिशोर तंवर, देवीलाल पालीवाल, विजय कुमावत, दीपक पालीवाल, रामस्वरूप, चैनसुख, मदन गोपाल शर्मा, रामनारायण पालीवाल, छानलाल आदि उपस्थित थे।

भोपाल-इंदौर-जम्मूतवी की ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव

आसलपुर-जोबनेर स्टेशन पर सिग्नल अपग्रेड के कारण जयपुर पहुंचने में होगी देरी

चमकता राजस्थान, जयपुर। जयपुर में आसलपुर जोबनेर स्टेशन के बीच रेलवे की ओर से सिग्नल अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते कल जयपुर से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। ये गाड़ियां भोपाल, इंदौर, जम्मू तवी और अजमेर के लिए संचालित होंगी। ऐसे में, जयपुर स्टेशन पहुंचने में इन ट्रेनों को 1 से डेढ़ घंटे की देरी होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर जारी शेड्यूल के मुताबिक गाड़ी संख्या 12466 जोधपुर-इंदौर गाड़ी 15 जून को जोधपुर से चलेगी। फुलेरा स्टेशन पर निर्धारित समय पर पहुंचने के बाद इस गाड़ी को एक घंटा स्टॉपेज देकर रवाना किया जाएगा। इसी तरह गाड़ी संख्या 14645, जैसलमेर-जम्मूतवी ट्रेन 14 जून को जैसलमेर से चलेगी और फुलेरा स्टेशन पर आकर 55 मिनट का स्टॉपेज देगी। गाड़ी संख्या 19712 भोपाल-जयपुर पैरेंट्स 14 जून को फुलेरा स्टेशन पर 1 घंटे 30 मिनट स्टॉपेज देने के बाद जयपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09605 अजमेर-जयपुर एक्सप्रेस 15 जून को अजमेर से अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 30 मिनट देरी से चलेगी।

बाड़ी चलो

बाड़ी चलो

बाड़ी चलो



मान्यवर,

आपको सूचित किया जाता है कि
दिनांक 15 जून 2023, गुरुवार को
राजस्थान सरकार के

मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी

पधार रहे हैं। जो कि आम सभा को
सम्बोधित करेंगे। जिसमें आप सभी
सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक
संख्या में पधारकर कार्यक्रम को
सफल बनावें।

स्थान : कृषि उपज मण्डी
बसेड़ी रोड़, बाड़ी

समय : दोपहर 12 बजे

श्रीमती कमलेश
अध्यक्ष न. पा. बाड़ी

होतम सिंह जी
अध्यक्ष प्रतिनिधि न.पा.बाड़ी

